जनपद- हमीरपुर

थाना–कोतवालीनगर दिनांक 25.09.2026

अवगत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 213/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित हत्या के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पारा ओझी में एक वृद्ध व्यक्ति नवाब अली, उम्र करीब 84 वर्ष, की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची व प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में मृतक के पुत्र रमजान मुहम्मद उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा अपने पिता नवाब अली के सिर एवं चेहरे पर ईंट एवं कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, थाना पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। वादी रजमुद्दीन पुत्र नवाब अली निवासी ग्राम पारा ओझी, थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम रमजान मुहम्मद पत्र नवाब अली निवासी ग्राम पारा ओझी, थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनाँक 25.09.2026 को थाना कोतवाली नगर हमीरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रमजान मुहम्मद उर्फ छुट्टन निवासी ग्राम पारा ओझी, थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार कर प्रकरण में विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रमजान मुहम्मद पुत्र नवाब अली (उम्र करीब 35 वर्ष) निवासी ग्राम पारा ओझी, थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम-

1.निरी0 विनोद कुमार (प्र0निरी0 थाना कोतवाली नगर)

2.हे0का0 रंजीत कुमार

3.हे0का0 विजय सिंह